पत्र संख्या–6/ब0गै0यो0–01–52/2015गृ0आ0................../

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0)
बिहार, पटना

पटना, दिनांक मार्च, 2017

विषय :– **माननीय मुख्यमंत्री के सुरक्षा हेतु विशेष शाखा के उपयोग के लिए वाहन आरूढ़ जैमर (Strike MK-1)-02 अद्द एवं मीनी जैमर (HJ-01)-04 अद्द का वार्षिक अनुबंध भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हैदराबाद से दिनांक 27.12.2016 से 25.12.2017 तक कराने हेतु वार्षिक अनुबंध की 40 % राशि ₹ 24,91,453 (चौबीस लाख इक्यानवे हजार चार सौ तिरपन रू0) मात्र की अग्रिम निकासी की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के पत्रांक–2042/आपूर्ति, दिनांक 17.02.2017 के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री के सुरक्षा हेतु विशेष शाखा के उपयोग के लिए वाहन आरूढ़ जैमर (Strike MK-1)-02 अद्द एवं मीनी जैमर (HJ-01)-04 अद्द का वार्षिक अनुबंध भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हैदराबाद से दिनांक 27.12.2016 से 25.12.2017 तक कराने हेतु अधियाचित वार्षिक अनुबंध की 40 % राशि ₹ 24,91,453 (चौबीस लाख इक्यानवे हजार चार सौ तिरपन रू0) मात्र की अग्रिम निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजना मद में मांग सं0–22, मुख्य शीर्ष–2055–पुलिस, उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–001–निदेशन और प्रशाासन, उपशीर्ष–0003–केन्द्रीय स्तर पर सामग्रियों का क्रय, विषय शीर्ष 27 02–अनुरक्षण एवं मरम्मत तथा विपत्र कोड N2055000010003 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. निकासी की गई अग्रिम राशि को किसी भी हालत में बैंक खाता में नहीं रखा जायेगा और एक माह की अवधि में उसका व्यय अवश्य कर लिया जायेगा। अनावश्यक रूप से राशि की निकासी कर उसे बेकार नहीं रखा जायेगा। अग्रिम राशि के विरूद्ध आवश्यकतानुसार बैंक गारन्टी अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी ताकि राशि सुरक्षित रहे। राशि व्यय होने के उपरांत शीघ्र नियमानुसार डी0सी0 विपत्र समर्पित कर दिया जायेगा।

5. बिहार कोषागार संहिता, 2011 का विहीत विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

6. निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजात को संलग्न किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

8. डी0सी0 विपत्र/उपयोगिता प्रमाण–पत्र 3 माह के अंदर समर्पित किया जायेगा।

9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

10. उपर्युक्त में विभागीय मंत्री मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–

(राधा नन्दन प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–6/ब0गै0यो0–01–52/2015गृ0आ0.........2422......... पटना, दिनांक 23 मार्च, 2017

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना तथा आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राधा 21/03/17

सरकार के अवर सचिव